न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 80/2012

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. राधा पत्नि भारमल		1. भारमल पुत्र जगा
2. नेनी पुत्री भारमल		2. मांगूराम पुत्र जगा
3. गुड्डीदेवी पुत्री भारमल		3. बाबू पुत्र किशना
4. कमली पुत्री भारमल		4. गोरधन पुत्र किशना
जातियान–गुर्जर,		5. सुगनी बेवा किशना
निवासी–बगतावरपुरा (कुड़की)		कौम–गुर्जर,निवासीगण–बगतावरपुरा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.30.03.2012**

उपस्थित:– 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/03/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–बगतावरपुरा, हल्का पटवारी–कुड़की, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 860 रकबा 17–01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 880 रकबा 17–00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 882 रकबा 6–03 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 895 रकबा 12–06 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–4 कुल रकबा 52–10 बीघा की आई हुई हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/3 हिस्सा हैं। वादीगण का 1/3 हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज हैं एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या एक की धर्मपत्नि हैं तथा वादी संख्या 2 से 4 प्रति0 संख्या 1 की जायन्दा पुत्रियाँ हैं। इसलिए उक्त आराजी की भूमि में वादीगण संख्या 2 से 5 का जन्म से अधिकार स्वतः ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त हो जाते हैं। जिससे वादीगण को उक्त आराजी भूमि की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को बिना बताये ही आज से लगभग 20 वर्षो से ज्यादा समय पूर्व गांव बगतावरपुरा (कुड़की) से कहीं पर चले गये, जो आज दिन तक वापिस घर नहीं लौटे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 की काफी तलाश की लेकिन आज दिन तक कोई जानकारी (पता) नहीं चला हैं। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त वादीगण का उक्त आरजी पर पिछले 20 वर्षो से लगातार चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। दिगर प्रति संख्या 2 से 5 को सहखातेदार काश्तकार दर्ज होने से फोरमल पक्षकार इसलिए वादीगण को उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का (यानि भारमल के स्थान पर) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायतन जरूरी हैं। वादीगण सभी महिला हैं व राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से बैंक से ऋण लेने व किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बना सकती हैं। वादीगण को उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाय तथा प्रति0 संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाय। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी केवल मात्र वादीगण को तंग व परेशान करने की वजह से करेगें, तो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें। वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। वादीगण का बिनायवाद दिनांक 25/02/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने की एलानियाँ धमकी देने पर बमुकाम-बगतावरपुरा में पैदा हुआ, जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में हैं व वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं। इस प्रकार वकीलमय वादीगण ने माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 संख्या 1 से 5 को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। यद्यपि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से तत्समय दिनांक 16/04/2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथापि दिनांक 15/02/2013 को प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 15/02/2013 को थानाधिकारी पुलिस थाना-रास द्वारा प्रदत्त पेश किया, जो दिनांक 14/03/2013 को सा0मि0 किया गया हैं। उक्त प्रमाण पत्रानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना रास भारमल पुत्र जगरूप जाति-गुर्जर निवासी-बख्तावरपुरा पुलिस थाना-रास ग्राम पंचायत कुड़की तहसील-जैतारण जिला-पाली के विरुद्ध सीआरएन 39 तारीख 02/10/1977 धारा 379, 392 आईपीसी पुलिस थाना-आ0कालू में दर्ज होकर चालान न्यायालय जे0एम0 कोर्ट बर में पेश हो रखा हैं, जो काफी वर्षो से अपने सकूनत से रूपोष हैं। श्रीमान् जे0एम0 कोर्ट बर द्वारा मुल्जिम भारमल का स्थाई वारन्ट गिरफ्तारी क्रमांक/382 दिनांक 21/02/1991 से जारी हैं। अब तक मुल्जिम भारमल का कोई सुराग नहीं हैं व फरार चल रहा हैं, की रिपोर्ट सा0मि0 हैं। जिससे सम्मनस अखबार साया करवाया जाना उचित समझते हुए सम्मनस दैनिक समाचार पत्र प्रचलित राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर में साया करवाये जाने हेतु वकील मय वादीगण को आदेशित किया गया। आदेश की पालना की जाकर राजस्थान पत्रिका के संस्करण में दिनांक 04/07/2013 को प्रकाशित करवाकर मूल अखबार प्रति दिनांक 13/02/2014 को पेश हुई, सा0मि0 हैं। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 राधा एवं पी0डब्ल्यू0-2 अमराराम के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किए जिसका राधा पी0डब्ल्यू0-1 मुख्य परीक्षण करवाया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2064-67 Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 Exp-2 प्रदर्शित करवाया गया, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादीगण पेश करना नहीं चाहने से शहादत वादीगण दिनांक 14/01/2015 को बन्द की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि प्रति0 संख्या 1 भारमल वादिया का पति वादीगण संख्या 2 से 4 का पिता हैं। प्रति0 संख्या 1 पिछले 35 साल से गायब हैं। खातेदारी प्रति संख्या 1 भारमल के नाम से दर्ज हैं, किन्तु वादीगण को ऋण लेने तथा क्रेडिट कार्ड बनवाया जाना आवश्यक हैं। प्रति0 संख्या 1 लम्बे समय से लापता हैं, जिसकी पुष्टि थानाधिकारी पुलिस थाना-रास द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र दिनांक 15/02/2013 से भी होती हैं। जबकि वादीगण को अपने जीविकोपार्जन तथा उक्त पैतृक व पुश्तैनी भूमि के सुधार / उपजाऊ बनाने हेतु ऋण लेने क्रेडिट कार्ड बनवाने आदि हेतु वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रति0 को रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वकील वादीगण ने मजमा-ए-आम प्रशासन गांवों के संग लोक अदालत केम्प कुड़की में रूबरू मौतबिरान, सरपंच कुड़की की उपस्थिति में दिनांक 29/01/2013 को तैयार फर्द मौका की ओर ध्यान आकृष्ठ किया, जिसमें उल्लेखित हैं कि ग्राम-बगतावपुरा मानपुरा में खसरा नम्बर 860, 880, 882, 1895 कुल रकबा 52-10 बीघा सामलाती खातेदारी भूमि भारमल पुत्र मांगूराम पि0 जगा बाबू गोरधन पि0 किशना सुगनी बेवा किशना कौम-गुर्जर के नाम दर्ज आई हुई हैं। प्रतिवादीगण भारमल पुत्र जगा 1/3 हिस्सा आता हैं। मांगू पुत्र जगा

उपखण्ड अधिकारी
बैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का 1/3 हिस्सा तथा बाबू गोरधन राधा पत्नि भारमल नेनी पुत्री भारमल गुड्डीदेवी पुत्री भारमल कमली पुत्री भारमल जाति-गुर्जर 1/3 हिस्सा पर काबिज हैं, जो रेकर्ड में भारमल पुत्र जगा के स्थान पर हैं। वादीगण प्रतिवादीगण भारमल की पत्नि व पुत्रियाँ हैं। प्रतिवादीगण भारमल पुत्र जगा करीब 20 वर्षो से लापता है। जिसकी मजम-ए-आम में जांच की गई कि वास्तव में भारमल लापता हैं तथा उनकी पत्नि राधा पुत्रियाँ नेनी, गुड्डीदेवी, कमली हैं एवं वर्तमान में भारमल की खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज हैं। जांच की गई तो आम सभा में बताया कि वास्तव में भारमल पुत्र जगा करीब 20 वर्षो से लापता हैं। उनके हिस्सा की खातेदारी भूमि पर उनकी पत्नि व पुत्रियाँ ही काबिज हैं। अतः यह ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि भारमल के स्थान पर उनकी पत्नि व पुत्रियाँ के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना उचित समझते हैं। इस प्रकार वकील वादीगण ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के न्यायिक दृष्टान्त की ओर ध्यान आकृष्ट किया हैं तथा वाद आंशिक रूप से डिक्री कर प्रति0 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात, मजमा-ए-आम रिपोर्ट जांच दिनांक 29/10/2013, प्रमाण पत्र दिनांक 15/02/2013 तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण का चूँकि प्रति संख्या 1 पिछले लम्बे समय से लापता हैं तथा मजमा-ए-आम में जीविकोपार्जन एवं भूमि सुधार क्रेडिट कार्ड आदि हेतु वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज किया जाना उचित दर्शाया हैं। लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक डिक्री किया जाना तथा उक्त पैतृक व पुश्तैनी की उक्त विवादित भूमि में प्रति0 संख्या 1 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा दखलन्दाजी करने से रोका जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बगतावरपुरा, हल्का पटवारी-कुड़की, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 860 रकबा 17-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 880 रकबा 17-00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 882 रकबा 6-03 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 895 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-4 कुल रकबा 52-10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 के नोशनल हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द आदि नहीं करने हेतु वादीगण को भी पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया जावें। तहसीलदार डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31.03.2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. राधा पत्नि भारमल		1. भारमल पुत्र जगा
2. नेनी पुत्री भारमल		2. मांगूराम पुत्र जगा
3. गुड्डीदेवी पुत्री भारमल		3. बाबू पुत्र किशना
4. कमली पुत्री भारमल		4. गोरधन पुत्र किशना
जातियान-गुर्जर,		5. सुगनी बेवा किशना
निवासी-बगतावरपुरा (कुड़की)		कौम-गुर्जर,निवासीगण-बगतावरपुरा
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 80/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बगतावरपुरा, हल्का पटवारी-कुड़की, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 860 रकबा 17-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 880 रकबा 17-00 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 882 रकबा 6-03 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 895 रकबा 12-06 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-4 कुल रकबा 52-10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 के नोशनल हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द आदि नहीं करने हेतु वादीगण को भी पाबन्द किया जाता हैं। तहसीलदार डिकी की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/03/2015** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	1	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	6	00	मिजानः-	—	Nil

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner